मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 3-9/2018/26-2 भोपाल, दिनांक 01/10/2018

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3. समस्त आयुक्त नगर निगम, मध्यप्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
4. समस्त संयुक्त/उप संचालक,
   सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद, मध्यप्रदेश।

विषय :- मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणा क्रमांक बी-4433 **"50 वर्षों से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को पेंशन दी जायेगी"**। उक्त घोषणा के परिपालन में प्रदेश में निवासरत् 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **'मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना'** प्रारंभ की गई है।

2. मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के लिए पात्रता निम्नानुसार प्रस्तावित है:-
   - अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो,
   - न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो,
   - आयकरदाता न हो,
   - शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
   - शासकीय/अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो।
   - अविवाहित महिला परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो।

3. योजना अंतर्गत सहायता राशि निम्नानुसार होगी:-

3.1 50 वर्ष से 79 आयु होने पर प्रतिमाह राशि रूपये 300/- एवं 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर प्रतिमाह 500/- रूपये की पेंशन दी जाएगी।

4. **आवश्यक दस्तावेज:-**

4.1 मूल निवासी प्रमाण पत्र।

4.2 अविवाहित महिला की 9 अंको की समग्र आईडी।

4.3 आयु प्रमाण पत्र।

4.4 बैंक पासबुक की छायाप्रति।

4.5 अविवाहित होने का प्रमाणित घोषणा पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सचिव व शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय द्वारा जांच उपरांत जारी किया जाये)।

4.6 अविवाहित महिला का आयकरदाता न होने का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।

4.7 अविवाहित महिला द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।

4.8 अविवाहित महिला द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आश्य का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।

नोट : 4.6 से 4.8 तक के स्व प्रमाणित घोषणा पत्र प्रारूप परिशिष्ट-ब अनुसार है।

5. **आवेदन करने एवं आवदेन निराकरण की प्रक्रिया**

ग्रामीण क्षेत्र

- आवेदिका द्वारा निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-अ पर संलग्न) में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत में जमा किया जावेगा।
- आवेदिका द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है।
- ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदिका को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: (परिशिष्ट- स) दी जायेगी।
- उपरोक्तानुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी।
- ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों को ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल (http://pensions.samagra.gov.in) पर ऑनलाईन किया जावेगा।
- जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदिका को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश (परिशिष्ट-द) रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।
- जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा।
- पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश (परिशिष्ट-इ) रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।

- संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जावेगी।

शहरी क्षेत्र

- आवेदिका द्वारा निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-अ पर संलग्न) में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यालय अथवा वार्ड कार्यालय में जमा किया जावेगा।
- आवेदिका द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है।
- ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदिका को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यतः (परिशिष्ट-स) दी जायेगी।
- उपरोक्तानुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी।
- ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों को आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यालय अथवा वार्ड कार्यालय द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल (http://pensions.samagra.gov.in) पर ऑनलाईन किया जावेगा।
- जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदिका को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश (परिशिष्ट-द) रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।
- जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा।
- पेंशन स्वीकृत होने पर आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यालय द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश (परिशिष्ट-इ) रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।
- संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जावेगी।

6. पेंशन स्वीकृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्र	अधिकारी	समयावधि
(1)	(2)	(3)
ग्रामीण क्षेत्र के लिए	ग्राम पंचायत सचिव / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	15 कार्य दिवस
नगरीय क्षेत्र के लिए	आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद	15 कार्य दिवस

7. **अपीलीय अधिकारी**

क्षेत्र	प्रथम अपीलीय अधिकारी	समयावधि	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	समयावधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस
नगरीय क्षेत्र आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर पालिका/ नगर परिषद	कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त कलेक्टर	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस

8. आवेदक को उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही उसे अभिस्वीकृति प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है। (परिशिष्ट-ई)

9. अधिसूचित सेवाओं के आवेदन पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) अधिनियम, 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी (रजिस्टर) का संधारण किया जावेगा। (परिशिष्ट-उ)

(चन्द्रकान्त कश्यप)
अवर सचिव
म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3-9/2018/26-2 भोपाल, दिनांक 01/10/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/महिला एवं बाल विकास/नगरीय प्रशासन/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/राजस्व विभाग म.प्र. शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, भोपाल की ओर लोक सेवा प्रबंधन की वेबसाईट पर आवश्यक संशोधन हेतु।
4. संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्यप्रदेश।

1/10/18

अवर सचिव

म.प्र. शासन

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन

कल्याण विभाग

परिशिष्ट-अ (नि:शुल्क)

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

// पेंशन हेतु आवेदन प्रारूप //

प्रति,

1. ग्राम पंचायत सचिव/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   ग्राम पंचायत .....
   जनपद पंचायत, ...
   जिला .....मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
   नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद, ...
   जिला ..... मध्यप्रदेश।

अविवाहित महिला का फोटोग्राफ

विषय :- मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन स्वीकृत एवं प्रदाय करने बावत।

---

1. आवेदिका की 9 अंको की समग्र आईडी क्रमांक
2. आवेदिका का 12 अंको का आधार कार्ड नम्बर (यदि हो तो)
3. आवेदिका का बीपीएल कार्ड नम्बर(यदि हो तो)
4. आवेदिका का नाम .....
5. पिता का नाम .....
6. जाति वर्ग ..... एससी | एसटी | ओबीसी | सामान्य
7. आवेदिका का जन्म तिथि ...../...../.....आयु.....
8. आवेदिका का मोबाईल नम्बर .....
9. आवेदिका के मूल निवासी स्थान व पूर्ण पता.....
   .....
11. परिवार की वार्षिक आय .....
12. क्या आवेदिका आयकरदाता है ? हां / नहीं
13. क्या आवेदिका शासकीय कर्मचारी/अधिकारी है ? हां / नहीं
14. क्या आवेदिका को परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है ? हां / नहीं
15. क्या आवेदिका को अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त हो रही है ? हां / नहीं
16. आवेदिका का बचत खाता नम्बर की जानकारी

बचत खाता नम्बर	बैंक का नाम व पता	आईएफएस कोड नम्बर

आवेदिका के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

परिशिष्ट-ब

:: स्व प्रमाणित घोषणा पत्र ::

मैं ..... पिता ..... निवासी ..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती हूं, कि मैं

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हूं,
2. मेरी आयु 50 वर्ष से अधिक है,
3. अविवाहित हूं,
4. आयकरदाता नहीं हूं,
5. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं हूं,
6. मुझे किसी प्रकार की परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है,

ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदिका के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

परिशिष्ट-स

:: पावती ::

कार्यालय ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद

.....जिला .....म.प्र

क्रमांक ..... दिनांक .....

अविवाहिता ..... समग्र आईडी .....

पिता..... समग्र आईडी ..... निवासी

ग्राम/नगर.....

तहसील/विकासखण्ड..... जिला .....म.प्र.

द्वारा मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के लिए किया गया आवेदन पत्र मेरे द्वारा प्राप्त किया गया।

दिनांक .....

स्थान .....

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/

नगर पालिका/नगर परिषद

जिला .....मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-द

// अस्वीकृति आदेश //

कार्यालय ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद

.....जिला .....म.प्र

क्रमांक ..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि अविवाहिता..... पिता..... निवासी ग्राम/नगर ..... तहसील/विकासखण्ड..... जिला .....म.प्र. द्वारा मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।

2. परीक्षण उपरांत निम्न कारणों व दस्तावेजों के न होने के कारण आवेदिका को मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना का आवेदन अस्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

1	मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र	हां/ नही	
2	9 अंको की समग्र आईडी	हां/ नही	
3	आयु प्रमाण पत्र	हां/ नही	
4	बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक व आईएफएस कोड स्पष्ट प्रदर्शित हो	हां/ नही	
5	आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र	हां/ नही	
6	आवेदिका द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र	हां/ नही	
7	आवेदिका द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आश्य का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र	हां/ नही	
8	आवेदिका के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ	हां/ नही	

दिनांक .....

स्थान .....

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/

नगर पालिका/नगर परिषद

द्वारा अधिकृत अधिकारी

// स्वीकृति आदेश //

कार्यालय ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद
.....जिला .....म.प्र

क्रमांक ..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि अविवाहिता..... पिता..... निवासी ग्राम/नगर ..... तहसील/विकासखण्ड..... जिला .....म.प्र. द्वारा मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।

परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदिका को मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

- मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों को पूर्ति होने के कारण पेंशन सहायता स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक .....

स्थान .....

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/
नगर पालिका/नगर परिषद
द्वारा अधिकृत अधिकारी

परिशिष्ट- ई

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5(1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का .....
नाम एवं पता .....

1. आवेदक का नाम एवं पता .....
.....

2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय .....
में आवेदन प्राप्ति का दिनांक .....

3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन .....
दिया गया है

उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा .....
प्राप्त करने के लिये आवश्यक है किन्तु .....

आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये है .....

4. निश्चित की गई समय-सीमा .....
की आखिरी तारीख

स्थान .....
दिनांक .....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोट :- आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु-4 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।

परिशिष्ट- उ

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 16 के अंतर्गत

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम .....

माह .....वर्ष .....

क्रमांक	आवेदिका का नाम एवं पता	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है	निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख	आवेदन स्वीकृत/ निरस्त	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)